

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—67/2018 (2018/00161) वादपत्र

अनवान

1. बगतावर पिता रामा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कैलाश पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मुरलीधर पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुशीला पुत्री मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रेमदेवी पुत्री मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लेहरीदेवी पत्निमांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. कन्हैयालाल पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. नन्दकिशोर पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर
9. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनील बापना —
2. जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता वादी

अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 08.02.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 29.10.2020 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि राजस्व ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोरणा तहसील रायपुर की सरहद में खाता संख्या 311 में वर्णित आराजी संख्या 857 रकबा 0.70 है0, आराजी संख्या 858 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 881 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 866 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 867 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 869 रकबा 0.51 है0, आराजी संख्या 876 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 878 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 879 रकबा 0.64 है0 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 3.50 है0 भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का संयुक्त रूप से 7/8 हिस्से का मौके एवं कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 19.01.2024 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार



*(Handwritten signature)*

प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोरणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 25 में प्रस्तावित आराजी संख्या 857/1 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 858/1 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 861/2 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 879/2 रकबा 0.16 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि बगतावर पुत्र रामा गुजर सा. थोरियाखेड़ा खातेदार एवं खाता संख्या 26 में प्रस्तावित आराजी संख्या 869 रकबा 0.51 है0, आराजी संख्या 857/2 रकबा 0.57 है0, आराजी संख्या 858/2 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.18 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 1/7, कैलाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल 1/7, पवनकुमार पुत्र हीरालाल 1/7, लहरीदेवी पत्नि मांगीलाल 1/7 रहन बीआरकेजीबी रायपुर, सुशीला पुत्री मांगीलाल 1/7, हीरालाल पुत्र बंशीलाल 2/7 ब्राह्मण सा. थोरियाखेड़ा खातेदार तथा खाता संख्या 387 में प्रस्तावित आराजी संख्या 861 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 866 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 867 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.74 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 1/7, कैलाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल 1/7, पवनकुमार पुत्र हीरालाल 1/7, मुरलीधर पुत्र मांगीलाल 1/7, लहरीदेवी पत्नि मांगीलाल 1/7 रहन बीआरकेजीबी रायपुर, सुशीला पुत्री मांगीलाल 1/7, हीरालाल पुत्र बंशीलाल 1/7 ब्राह्मण सा. थोरियाखेड़ा खातेदार, एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 876 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 878/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 879/1 रकबा 0.44 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.10 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 1/7, कैलाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल 1/7, कृष्णादेवी पत्नि हरिशंकर 1/7, पवनकुमार पुत्र हीरालाल 1/7, लहरीदेवी पत्नि मांगीलाल 1/7 रहन बीआरकेजीबी रायपुर, सुशीला पुत्री मांगीलाल 1/7, हीरालाल पुत्र बंशीलाल 1/7 ब्राह्मण सा. थोरियाखेड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 878/2 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 879/3 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 1/8, कैलाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल 1/8, कृष्णादेवी पत्नि हरिशंकर 1/8, पवनकुमार पुत्र हीरालाल 1/8, लहरीदेवी पत्नि मांगीलाल 1/8 रहन बीआरकेजीबी रायपुर, सुशीला पुत्री मांगीलाल 1/8, हीरालाल पुत्र बंशीलाल 1/8 ब्राह्मण, बगतावर पुत्र रामा 1/8 गुजर सा. थोरियाखेड़ा खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबोध सिंह चारण)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:—67 / 2018 (2018 / 00161) वादपत्र

**अनवान**

1. बगतावर पिता रामा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादी**

**बनाम**

1. कैलाश पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मुरलीधर पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुशीला पुत्री मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रेमदेवी पुत्री मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लेहरीदेवी पत्निमांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. कन्हैयालाल पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. नन्दकिशोर पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर
9. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराना तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे खाता संख्या 25 में प्रस्तावित आराजी संख्या 857/1 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 858/1 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 861/2 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 879/2 रकबा 0.16 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि बगतावर पुत्र रामा गुजर सा. थोरियाखेड़ा खातेदार एवं खाता संख्या 26 में प्रस्तावित आराजी संख्या 869 रकबा 0.51 है0, आराजी संख्या 857/2 रकबा 0.57 है0, आराजी संख्या 858/2 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.18 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 1/7, कैलाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल 1/7, पवनकुमार पुत्र हीरालाल 1/7, लहरीदेवी पत्नि मांगीलाल 1/7 रहन बीआरकेजीबी रायपुर, सुशीला पुत्री मांगीलाल 1/7, हीरालाल पुत्र बंशीलाल 2/7 ब्राह्मण सा. थोरियाखेड़ा खातेदार तथा खाता संख्या 387 में प्रस्तावित आराजी संख्या 861 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 866 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 867 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.74 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 1/7, कैलाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल 1/7,



पवनकुमार पुत्र हीरालाल 1/7, मुरलीधर पुत्र मांगीलाल 1/7, लहरीदेवी पत्नि मांगीलाल 1/7 रहन बीआरकेजीबी रायपुर, सुशीला पुत्री मांगीलाल 1/7, हीरालाल पुत्र बंशीलाल 1/7 ब्राह्मण सा. थोरियाखेड़ा खातेदार, एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 876 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 878/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 879/1 रकबा 0.44 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.10 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 1/7, कैलाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल 1/7, कृष्णादेवी पत्नि हरिशंकर 1/7, पवनकुमार पुत्र हीरालाल 1/7, लहरीदेवी पत्नि मांगीलाल 1/7 रहन बीआरकेजीबी रायपुर, सुशीला पुत्री मांगीलाल 1/7, हीरालाल पुत्र बंशीलाल 1/7 ब्राह्मण सा. थोरियाखेड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 878/2 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 879/3 रकबा 0.04 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 1/8, कैलाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल 1/8, कृष्णादेवी पत्नि हरिशंकर 1/8, पवनकुमार पुत्र हीरालाल 1/8, लहरीदेवी पत्नि मांगीलाल 1/8 रहन बीआरकेजीबी रायपुर, सुशीला पुत्री मांगीलाल 1/8, हीरालाल पुत्र बंशीलाल 1/8 ब्राह्मण, बगतावर पुत्र रामा 1/8 गुजर सा. थोरियाखेड़ा खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 08.02.2024 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुबोध सिंह चारण)

सहायक कलेक्टर (उपाखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

